सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

OPERATION CRACKDOWN

प्रेस नोट-दिनांक 22.06.2024

मात्र 12 घण्टे के अन्दर लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (HS. NO- 65A) सहित कुल 03 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से लूटी गयी 02 अंगूठी, 03 मोबाइल फोन, नकदी एवं घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल, 03 अवैध तमन्चा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस, 07 खोखा कारतूस 315 बोर किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलान्स टीम, थाना चौबिया एवं थाना बसरेहर पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 21.06.2024 को वादी भानू प्रकाश पुत्र सोबरन लाल (**SBI BANK में फील्ड आफिसर के पद पर कार्यरत)** निवासी बनारसी दास जनपद औरैया द्वारा थाना चौबिया पर सूचना दी गयी कि 03 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने दोपहर के समय तमंचा दिखाकर वादी के 02 मोबाइल तथा 10,000/- रुपये छीन कर भाग गये। **थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 81/2024 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।**

वादी रजनेश सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी नगला दोले थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी द्वारा थाना चौबिया पर सूचना दी गयी कि 03 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने दोपहर के समय तमंचा दिखाकर वादी का मोबाइल, 2000/-रुपये तथा उसकी पत्नी से सोने की अंगूठी छीन कर भाग गये। **सूचना के आधार पर थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।**

वादिनी अंजली पत्नी रजनेश निवासी अशोक नगर थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर सूचना दी गयी कि जब वह अपने मायके से वापस आ रही थी तभी ग्राम भदवा साबरन से पहले 03 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने दोपहर के समय तमंचा दिखाकर 01 मोबाइल व 01 सोने की अंगूठी लूट ली। **थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 48/2024 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का विवरण-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 21/22.06.2024 की रात्रि को एसओजी/सर्विलान्स टीम, थाना चौबिया एवं थाना बसरेहर पुलिस द्वारा लोहिया पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि थाना चौबिया व थाना बसरहेर क्षेत्र मे 03 व्यक्तियों ने मिलकर लूट की घटना की थी वह सभी 01 बिना नंबर की अपाचे मोटर साइकिल से **रुकईया** नहर पुल की तरफ से राहिन पुल की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये राहिन नहर पुल पर पहुंचे तभी कुछ समय बाद **रुकईया नहर पुल** की तरफ से 01 मोटरसाइकिल आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल सवार 03 व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 06 फायर किये गये। जिसकी 01 गोली थानाध्यक्ष चौबिया के सरकारी गाड़ी के बोनट में लगी।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई तो **01 गोली अभियुक्त गुलशन पुत्र जयपाल के दाहिनें पैर में, 01 गोली अभियुक्त सुघल बाबू पुत्र अनिल कुमार कोरी के बांये पैर मे, 01 गोली अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र राजेन्द्र सिंह के दाहिने पैर में लगी।**

जिन्हें घायल अवस्था में 03 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा व 07 खोखा कारतूस 315 बोर सहित राहिन नहर पुल के पास से समय 04.15 बजे को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्तों से नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 03 मोबाइल, 02 सोने की अंगूठी एवं 5,000/-रुपये नकद बरामद किये गये। जिसके संबंध में पुलिस टीम द्वारा कडाई से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि कल हम तीनों ने मिलकर थाना चौबिया व बसरेहर क्षेत्र में लूट की घटना कारित की थी

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी तथा पुलिस मुठभेड के सम्बन्ध में थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 83/2024 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़)व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी करने पर जितेन्द्र उर्फ जीतू ने बताया कि यह मोटर साइकिल मेरे दोस्त शेर सिंह की है जिसे मैं उसके बाहर जाने पर ले आया था। उक्त मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गुलशन पुत्र जयपाल निवासी बिजनौरा थाना सकरावां जनपद कन्नौज उम्र 25 वर्ष।
2. सुघल बाबू पुत्र स्व0 अनिल कुमार कोरी निवासी ग्राम हरिसिंहपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी उम्र 24 वर्ष।
3. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी घुमरैया थाना किशनी जनपद मैनपुरी उम्र 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. **मु0अ0सं0 81/2024 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा**
2. **मु0अ0सं0 82/2024 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा**
3. **मु0अ0सं0 48/2024 धारा 392/411 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा**
4. **मु0अ0सं0 83/2024 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़)व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।**

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त गुलशन पुत्र जयपाल हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (HS. NO- 65A)

01. मु0अ0सं0 159/20धारा 379/411 भादवि थाना ऊसराहार जिला इटावा
02. मु0अ0सं0 197/2018 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना ऊसराहार जिला इटावा
03. मु0अ0सं0 18/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जिला इटावा
04. मु0अ0सं0 14/2021 धारा 392/411 भादवि थाना फ्रेण्डस कालोनी जिला इटावा
05. मु0अ0सं0 154/2021 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जिला इटावा
06. मु0अ0सं0 24/2020 धारा 394/411 भादवि थाना किशनी जिला मैनपुरी
07. मु0अ0सं0 25/2020 धारा 307 भादवि थाना किशनी जिला मैनपुरी
08. मु0अ0सं0 115/2020 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना किशनी जिला मैनपुरी
09. मु0अ0सं0 359/2023 धारा 3(1) गैगंस्टर एक्ट थाना सौरिख जनपद कन्नौज
10. मु0अ0सं0 533/2020 धारा 392/411 भादवि थाना सौरिख जनपद कन्नौज

11. मु0अ0सं0 81/2024 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
12. मु0अ0सं0 82/2024 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
13. मु0अ0सं0 48/2024 धारा 392/411 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा
14. मु0अ0सं0 83/2024 धारा 307 भादिव (पुलिस मुठभेड़)व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा

अभियुक्त सुघल बाबू पुत्र स्व0 अनिल कुमार कोरी

01. मु0अ0सं0 0347/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल इटावा
02. मु0अ0सं0 0164/2021 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जिला इटावा
03. मु0अ0सं0 667/2020 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली इटावा
04. मु0अ0सं0 681/2020 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली जिला इटावा
05. मु0अ0सं0 684/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली इटावा
06. मु0अ0सं0 224/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथन इटावा
07. मु0अ0सं0 225/2022 धारा 411 भादवि थाना भरथन इटावा
08. मु0अ0सं0 81/2024 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
09. मु0अ0सं0 82/2024 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
10. मु0अ0सं0 48/2024 धारा 392/411 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा
11. मु0अ0सं0 83/2024 धारा 307 भादिव (पुलिस मुठभेड़)व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा

अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र राजेन्द्र सिंह

01. मु0अ0सं0 81/2024 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
02. मु0अ0सं0 82/2024 धारा 392/411 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
03. मु0अ0सं0 48/2024 धारा 392/411 भादवि थाना बसरेहर जनपद इटावा
04. मु0अ0सं0 83/2024 धारा 307 भादिव (पुलिस मुठभेड़)व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा

बरामदगी-

1. 03 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 07 खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 अपाचे मोटरसाइकिल **(बिना नंबर प्लेट रंग काला)**
5. 03 मोबाइल फोन **(लूटे हुये)**
6. 02 अंगूठी सोने की **(लूटी हुयी)**
7. 5000/- रुपये नकद **(लूटे हुये)**

पुलिस टीम – प्रथम:- उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

द्वितीय:- उ0नि0 श्री मन्सूर अहमद थानाध्यक्ष चौबिया, उ0नि0 श्री कपिल चौधरी थानाध्यक्ष बसरेहर, उ0नि0 दर्शन सिंह सोलंकी, उ0नि0 श्री अनीश अहमद ,का0 कर्मवीर, का0 शाहरुख खान, का0 धीरेन्द्र का0 शिवनाथ, का0 पुष्पेन्द्र।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25,000/- रुपये की राशि से पुरस्कृत किया गया है।